

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 18-01-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में कुल ₹6,21,00,960/- (छ: करोड़ इक्कीस लाख नौ सौ साठ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-09(7)ब दिनांक-15.05.17, 44(7)ब दिनांक-17.08.17, 68(7)ब दिनांक-22.09.17, 70(7)ब दिनांक-25.09.17, 88(7)ब दिनांक-16.10.17, 90(7)ब दिनांक-17.10.17 एवं 99(7)ब दिनांक-5.12.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों के लिए कुल ₹6,21,00,960/- (छ: करोड़ इक्कीस लाख नौ सौ साठ रु.) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर /संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतन का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।



2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 135 (7)A

पटना, दिनांक : 18-01-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-03.07 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 (विपत्र कोड 20-22100120000001) में बिहार स्थित यस्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	प्रशिक्षण व्यय (20-03)	सामग्री एवं प्रतियाँ (21-01)	कुल	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अपर निदेशक, यस्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	4000000	5600000	320000	790000	80000	48000	10838000	0	0	0	10838000	22/6.1.18
2	अधीक्षक, यस्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर	3600000	5220000	540000	0	72000	43200	9475200	0	0	0	9475200	01/2.1.18
3	अपर मुख्य चि0पदा0, भोजपुर	1500000	2250000	120000	0	30000	15000	3915000	0	0	0	3915000	256/30.11.17
4	अपर मुख्य चि0पदा0, गोपालगंज	580000	841000	46400	0	11600	6960	1485960	0	0	0	1485960	424/17.10.17
5	अपर मुख्य चि0पदा0, कटिहार	1600000	2320000	128000	0	32000	48000	4128000	0	0	25000	4153000	133/16.12.17
6	अपर मुख्य चि0पदा0, पूर्णिया	2400000	3480000	192000	0	48000	26400	6146400	0	0	0	6146400	430/8.12.17
7	अपर मुख्य चि0पदा0, मधुबनी	1200000	1740000	96000	0	24000	36000	3096000	0	0	0	3096000	130/19.12.17
8	अपर मुख्य चि0पदा0, सारण	200000	290000	16000	0	4000	6000	516000	0	0	0	516000	447/18.12.17
9	अपर मुख्य चि0पदा0, समस्तीपुर	200000	290000	14000	0	2000	2000	508000	0	0	0	508000	634/29.11.17
10	अपर मुख्य चि0पदा0, कैमूर	580000	841000	46400	0	11600	17400	1496400	50000	0	0	1546400	238/26.12.17
11	अपर मुख्य चि0पदा0, बेतिया	1600000	2320000	128000	0	32000	48000	4128000	0	0	0	4128000	243/27.11.17
12	अपर मुख्य चि0पदा0, सिवान	3000000	4410000	240000	0	60000	150000	7860000	0	0	0	7860000	297/6.12.17
13	अपर मुख्य चि0पदा0, वैशाली	2500000	4000000	200000	0	50000	125000	6875000	0	10000	0	6885000	460/6.11.17
14	अपर मुख्य चि0पदा0, नवादा	600000	870000	48000	0	12000	18000	1548000	0	0	0	1548000	01/2.1.18
	कुल	23560000	34472000	2134800	790000	469200	589960	62015960	50000	10000	25000	62100960	

(छ: करोड़ इक्कीस लाख नौ सौ साठ) रु. मात्र

135(7)A

18-01-18

सरकार के विशेष सचिव
18/1/18

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	220000000	196310000	23560000	219870000	130000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	290000000	255281000	34472000	289753000	247000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	325000000	29988500	2134800	32123300	376700
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	2000000	1202000	790000	1992000	8000
5	शिक्षित्वा भत्ता (0001-01-06)	2500000	1998700	469200	2467900	32100
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	3000000	2372760	589960	2962720	37280
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	550000000	487152960	62015960	549168920	831080
7	शिक्षित्वा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	542561	50000	592561	407439
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	135000	0	135000	115000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	400000	0	400000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	136000	0	136000	64000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	185000	0	185000	115000
14	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	200000	0	200000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	100000	0	100000	100000
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	51186	10000	61186	2938814
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	380000	239500	25000	264500	115500
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	26780	0	26780	573220
18	आहार / पशु (0001-21-03)	600000	500000	0	500000	100000
19	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	400000	100000	0	100000	300000
	कुल योग:-	562830000	494921487	62100960	557022447	5807553

135 (3) A

18-01-18

सरकार के विशेष सचिव

(9)